ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में (i) माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली; (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन; तथा (iii) शहरी संपदाओं का विकास, पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य सरकार को हानि, नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियां इत्यादि से संबंधित ₹ 1,036.62 करोड़ से आवेष्टित 23 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे उल्लिखित हैं:

2009-14 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 31,305 करोड़ से 49 प्रतिशत बढ़कर ₹ 46,598 करोड़ हो गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2009-10 में ₹ 25,257 करोड़ से 66 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 41,887 करोड़ हो गया जबकि 2009-14 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 5,218 करोड़ से 25 प्रतिशत घटकर ₹ 3,935 करोड़ रह गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा

'माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- 2009-14 के दौरान योजनागत के अंतर्गत ₹ 56.23 करोड़ एवं ₹ 542.51 करोड़ के मध्य तथा गैर-योजनागत के अंतर्गत ₹ 67.50 करोड़ एवं ₹ 606.40 करोड़ के मध्य पर्याप्त बचतें थी। ₹ 8.87 करोड़ राशि की निधियां सरकारी खाते से बाहर रखी गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.7 तथा 2.1.7.1)

- कंट्रेक्ट एग्रीमेंट के उल्लघंन में ₹ 1.06 करोड़ की अतिरिक्त अदायगी के द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं के अनुरक्षण हेतु सर्विस प्रोवाइडर को अदेय लाभ दिया गया। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा स्थापित सू.सं.प्रौ. प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली 123 स्कूलों में से 102 जिनसे फीडबैक प्राप्त की गई थी द्वारा, घटिया मूल्यांकित की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

- व्यय किए गए ₹ 39.75 लाख के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कैथल के पास वाउचर उपलब्ध नहीं थे तथा जि.शि.अ. नूहं द्वारा ₹ 4.99 लाख की सामग्री की अप्राप्ति थी, जो कि सरकारी धन के दुरूपयोग/गबन की राशि हो सकती है।

(अनुच्छेद 2.1.8.3)

- कक्षा 12 एवं 10 के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता क्रमश: 89.33 से 71.16 तक और 79.58 से 49.78 तक तीव्रता से घट गई। विभाग, द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों का फीस ढांचा मानीटर नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 तथा 2.1.9.2)

- नमूना-जांच किए जिलों में अपग्रेड किए गए 91 स्कूलों में से, 55 स्कूलों द्वारा क्लासरूमज, विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल परिसरों के क्षेत्र इत्यादि के निर्धारित मानक पूर्ण नहीं कर रहे थे। प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों एवं लैक्चररों के कैडर में 37,236 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध वास्तविक तैनाती 10,979 थी।

(अनुच्छेद 2.1.9.3 तथा 2.1.10.1)

'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- समग्र मिशन अवधि के लिए परिदृश्य योजना तैयार करने को सरल बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर आधार रेखा सर्वेक्षण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सा.स्वा.के.) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा.स्वा.के.) के सुविधा सर्वेक्षण 2013-14 तक आयोजित नहीं किए गए।

(अनुच्छेद 2.2.6)

- राज्य में चिकित्सा तथा अर्द्धचिकित्सा स्टाफ की 7 तथा 30 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित कमी के अतिरिक्त, 125 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सा.स्वा.के.), 501 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (प्रा.स्वा.के.) तथा 3,006 उप-केंद्रों (उ.कें.) की आवश्यकता के विरूद्ध 112 सा.स्वा. के., 485 प्रा.स्वा.के. तथा 2,630 उप.के. उपलब्ध थे।

(अनुच्छेद 2.2.8.1 तथा 2.2.9)

- 2010-14 के दौरान नमूना-जांच किए गए सामान्य अस्पतालों, सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में अनिवार्य दवाइयों की कमी थी। राज्य में 16,800 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से 4,800 को औषधि किट प्रदान नहीं की गई। जहां एक फर्म अन्य निगम/राज्य द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई है, विभाग द्वारा मामलों से संव्यवहार के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए थे।

(अनुच्छेद 2.2.10.1 से 2.2.10.3)

- प्रथम तिमाही के समय पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की बृहद् संख्या प्रसवपूर्व जांच के लिए नहीं दर्शाई गई। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अत्यधिक विलंब/प्रोत्साहनों के भुगतान न करने के मामले थे।

(अनुच्छेद 2.2.11.1)

- 2009-14 के दौरान 7.14 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन किए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 6.42 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन किए गए। अपवर्तक त्रुटियुक्त 1,22,966 विद्यार्थियों की पहचान के विरूद्ध केवल 44,320 विद्यार्थियों को ऐनक प्रदान की गई।

(अनुच्छेद 2.2.12)

'शहरी संपदाओं का विकास' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई है:

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आयोजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय आयोजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना के सामंजस्य में नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.3.6.1)

- भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा भू-स्वामियों के मामलों को न्यायालयों के पास भेजने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ के ब्याज की अतिरिक्त अदायगी हुई। आगे, भूमि के बढ़े हुए मुआवजे की अदायगी करने में विलंब के कारण ₹ 4.67 करोड़ के ब्याज की अतिरिक्त अदायगी हुई।

(अनुच्छेद 2.3.7.1 एवं 2.3.7.2)

- गुड़गांव में आटो मार्किट के विकास पर ₹ 2.46 करोड़, पांच सीवर और स्टोर्म वाटर ड्रेनज के निष्पादन पर ₹ 19.52 करोड़ और चार सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ₹ 1.90 करोड़ की राशि, कार्यों के घटिया कार्यान्वयन के कारण निष्फल बना दी गई।

(अनुच्छेद 2.3.8.1, 2.3.8.5 तथा 2.3.8.7)

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 'आशियाना स्कीम' के अंतर्गत उचित सर्वेक्षण किए बिना ₹ 93.88 करोड़ की लागत पर निर्मित 2,563 मकान, पात्र व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अनाबंटित रहे।

(अनुच्छेद 2.3.9.1)

- कालोनाइजरों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास में पारदर्शिता और निरंतरता की कमी, कालोनाइजरों के आवेदन पत्र प्रोसेस करने, विकसित किए जाने वाले क्षेत्र की सघनता का निर्णय लेने, आंतरिक सड़कों के विकास, वाणिज्यिक कालोनियां स्थापित करने के लिए क्षेत्र मानकों के नियत करने, वित्तीय पर्याप्तता के निर्धारण करने, विकास योजना की व्याख्या करने और लाईसैंसों के हस्तांतरण इत्यादि में दिखाई दी। परिणामत:, विशेष आवेदकों को अनुचित लाभ देने की संभावना का पता नहीं लगाया जा सका। पांच विकासकों ने परियोजनाओं को पूर्ण किए बिना भूमि की बिक्री पर ₹ 52.26 करोड़ की लागत पर ₹ 215.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

(अनुच्छेद 2.3.10.1)

- हाऊसिंग स्कीमों को चलाने के लिए कालोनाइजरों के विज्ञापन पर विभाग की अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण एक कालोनाइजर द्वारा आवेदकों से ₹ 55 करोड़ का अनधिकृत संग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.10.2)

अनुपालन लेखापरीक्षा

73 एकड़ भूमि की लागत के रूप में ₹ 28.96 करोड़ की राशि तथा उपर्युक्त राशि पर ₹ 12.35 करोड़ ब्याज के रूप में हरियाणा स्टेट को-आपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड (हैफेड) से वसूल किए जाने थे।

(अनुच्छेद 3.1)

22 ग्राम पंचायतों में 28 संस्थागत शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था या अधूरा पड़ा रहा। ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन परियोजनाएं आरंभ नहीं की गई थी। 196 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 113 शौचालयों का ही निर्माण किया गया, 133 लाभर्थियों को शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किए बिना ₹ 3.46 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई तथा ₹ 3.10 लाख की प्रोत्साहन राशि का दो बार भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.2)

उच्च दरों पर डयूल डैस्क की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 7.61 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.3)

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्वास्थ्य विभाग ने बायो-मैडिकल वेस्ट (मैनेजमैंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 1998 लागू नहीं किए क्योंकि बायो-मैडिकल वेस्ट (बा.मै.वे.) उत्पन्न करने वाली स्थापनाओं की पहचान नहीं की गई थी तथा प्राधिकृत स्वास्थ्य देख-रेख स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था। बायो-मैडिकल वेस्ट, रंग कोडिड कंटेनरों में अलग-अलग नहीं किए जा रहे थे न ही उचित प्रकार से निपटान किए जा रहे थे।

(अनुच्छेद 3.5)

विभिन्न सरकारी विभागों ने हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (ह.रा.स.पु.वि.नि.) से अप्रयुक्त निधियों पर ₹ 20.21 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं की।

(अनुच्छेद 3.7)

ड्रग टैस्टिंग लैबोरेटरी तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी के निर्माण पर ₹ 3.40 करोड़ का किया गया व्यय मानव शक्ति की अनुपलब्धता के कारण निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.9)

अधिकारियों तथा आपरेशनल पुलिस फोर्स की कमी के बावजूद कुछ कार्यालयों में संस्वीकृत संख्या के आधिक्य में पुलिस कार्मिक तैनात थे। फारेंसिक साईस लेबोरेटरी में कमी 50 प्रतिशत की सीमा तक थी परिणामत: सैम्पलों की लंबनता में वृद्धि हुई। राज्य में अपराध अनुपात पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक था।

(अनुच्छेद 3.11)

जैव खेती स्कीम के अंतर्गत चार सेवा प्रदाताओं द्वारा ₹ 1.58 करोड़, जो फार्म निवेशों के लिए अभिप्रेत थे, स्टॉफ वेतन हेतु विपथित किए गए थे। नए बागान स्कीम के अंतर्गत पौधों की उत्तरजीविता दर बहुत कम थी। 237 सामुदायिक टैंक अधूरे थे और पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक अपेक्षित उद्देश्य हेतु प्रयुक्त नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.12)

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड द्वारा बचत बैंक खातों के प्रचालन के संबंध में कार्यक्रम दिशानिर्देशों की अननुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.15)

लाभभोगी विभाग से लिखित सहमति प्राप्त न करने के कारण ₹ 1.24 करोड़ का भारत सरकार अनुदान प्राप्त नहीं किया जा सका तथा पुराने विनिर्देशनों के साथ कम कार्य जीवन वाली 8,691 स्ट्रीट लाइटों के प्रापण पर ₹ 3.78 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। ₹ 2.96 करोड़ का लाभभोगी हिस्सा वसूलनीय था और एजेंसी को अनुचित लाभ दिया गया था।

(अनुच्छेद 3.17)

बसों की उपलब्धता के बिना परिचालकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 9.93 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.21)

1,082 दावेदारों को विवाह शगुन जारी करने में पांच से 32 माह का विलंब देखा गया। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम के अंतर्गत सही सत्यापन के बिना 5,153 लाभार्थियों को ₹ 10.95 करोड़ भुगतान किए गए। 4,000 कन्या विद्यार्थी योग कक्षाओं तथा स्वयं सुरक्षा परीक्षण से वंचित रखी गई। 2009-14 अवधि के दौरान जींद तथा हिसार में कन्या शिशु का अनुपात घट गया था।

(अनुच्छेद 3.23)